न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 06/21

दायरा दिनांक 03.09.2021

1. हिम्मतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति अहीर निवासी सहरोल तलहटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. मोहरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति अहीर निवासी सहरोल तलहटी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत शाहावाद जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत शाहावाद तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. सरकार जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– रेस्पोन्डेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत शाहावाद दिनांक 20.12.2014 नामान्तरकरण संख्या 1645 ग्राम सहरोल तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राजस्थान

<u>निर्णय–दिनांक 08.09.2022</u>

उपस्थित– अपीलाण्टस की ओर से–श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्टस क्रम 1 व 2 आपस में सगे भाई हैं, अपीलान्टस ने सामलात में दिनांक 03.09.2014 को ग्राम सहरोल तलहटी तहसील शाहावाद की आराजी खसरा नंबर 179 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नंबर 194 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नंबर 194/1097 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नंबर 200 रकबा 0.03 बीघा खसरा नंबर 202 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर 572 रकबा 3.15 बीघा, खसरा नंबर 573 रकबा 4.11 बीघा, खसरा नंबर 574 रकबा 3.17 बीघा, खसरा नंबर 599 रकबा 5.08 बीघा, खसरा नंबर 632 रकबा 2.09 बीघा, खसरा नंबर 662 रकबा 5.00 किता 12 रकबा 29.00 बीघा के ततकालीन खातेदार नैनी पुत्री बालू जाति अहीर से उसके हिस्सा 1/6 में से हिस्सा 49/97 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 03.09.2014 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1645 ग्राम सहरोल तलेहटी पर पारित आदेश दिनांक 20.12.14 मात्र अपीलान्ट क्रम 1 के नाम दर्ज किया जाकर तस्दीक किया गया है, जबकि विक्रयपत्र अनुसार दोनो अपीलान्टस के नाम क्रयशुदा आराजी का नामान्तरकरण समभाग से दर्ज किया जाना चाहिये था, इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण विक्रयपत्र के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रश्नगत नामान्तरकरण बाला बाला खोल तस्दीक किया है, जिसकी कोई सूचना अपीलान्टस को नहीं दी गई। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर ग्राम सहरोल [illegible] के नामान्तरकरण संख्या 1645 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टस [illegible] नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने बावत आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर [illegible] तलबी [illegible]। रेस्पोन्डेन्टस के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुप[illegible] रहने से एकपक्षीय [illegible]ही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

अपीलान्टस ने मुख्य रूप से नामान्तरकरण संख्या 1645 ग्राम सहरोल तलहटी बावत ग्राम पंचायत शाहावाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2014 को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्होने ग्राम सहरोल तलहटी तहसील शाहावाद स्थित आराजी खसरा नंबर 179 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नंबर 194 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नंबर 194/1097 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नंबर 200 रकबा 0.03 बीघा खसरा नंबर 202 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर 572 रकबा 3.15 बीघा, खसरा नंबर 573 रकबा 4.11 बीघा, खसरा नंबर 574 रकबा 3.17 बीघा, खसरा नंबर 599 रकबा 5.08 बीघा, खसरा नंबर 632 रकबा 2.09 बीघा, खसरा नंबर 662 रकबा 5.00 किता 12 रकबा 29.00 बीघा के ततकालीन खातेदार नैनी पुत्री बालू जाति अहीर से उसके हिस्सा 1/6 में से हिस्सा 49/97 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 03.09.2014 को संयुक्त रूप से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, परन्तु इस रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 03.09.2014 की पालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 1645 ग्राम सहरोल तलेहटी मात्र अपीलान्ट क्रम 1 के नाम ही खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अपीलाण्टस के इस आक्षेप के आलोक में पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 03.09.14 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया, इस विक्रयपत्र में अपीलान्टस क्रम 2 मोहरसिंह का नाम विक्रयपत्र टाईपिंग लिपी में अंकित न होकर बॉलपेन से दर्ज है, संभवतया इसी कारण वादग्रस्त नामान्तरकरण मात्र अपीलान्ट क्रम 1 के नाम ही दर्ज किया गया है, जो जांच का विषय है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नम्बर 1645 ग्राम सहरोल तलहटी तहसील शाहावाद दिनांक 20.12.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विक्रयपत्र दिनांक 03.09.2014 की उप पंजीयक कार्यालय की रक्षित प्रति से मिलान कर भलिभांति जांच करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner